

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26—अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/632 पार्ट-1/696
प्रति,

भोपाल दिनांक 27/04/2020

1. समस्त अधिकारी/कर्मचारी,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड/कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)
2. संयुक्त/उप संचालक/आहरण एवं संवितरण अधिकारी
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय (समस्त)
3. कार्यपालन यंत्री/आहरण एवं संवितरण अधिकारी
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग (समस्त)
4. सचिव/आहरण एवं संवितरण अधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति
..... जिला (समस्त)

विषय :— कोविड-19 के कारण सहायता जुटाने हेतु मंडी बोर्ड एवं प्रदेश की मंडी समितियों में कार्यरत सेवकों के अप्रैल 2020 के वेतन से कटौत्री की जाकर मुख्यमंत्री सहायक कोष में राशि जमा करने के संबंध में।

संदर्भ :— म.प्र.शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी ज्ञाप दिनांक 15 अप्रैल 2020

संदर्भित ज्ञाप अंतर्गत शासन द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये है कि शासकीय सेवकों के माह अप्रैल 2020 के वेतन से (जो माह मई 2020 में देय होगा) एक दिन के मूल वेतन की राशि की कटौती की जाये एवं जिनके द्वारा स्वैच्छा से माह मार्च 2020 के वेतन से कोष में जमा करा दिया गया है उनके माह अप्रैल 2020 के वेतन से कटौती की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यदि कोई शासकीय सेवक उपर्युक्त से अधिक या कम राशि की कटौती अथवा किन्हीं कारणों से असहमति व्यक्त करना चाहता है तो तदनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अवगत करा सकता है। ऐसे शासकीय सेवक, जिनके द्वारा स्वैच्छा से मार्च 2020 में अंशदान दिया गया है, को छोड़कर अन्य शासकीय सेवकों के संबंध में निर्धारित सीमा में अन्यथा कोई सूचना प्राप्त न होने पर शासकीय सेवक की सहमति मानी जावेगी। संदर्भित ज्ञाप की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

अतः उपरोक्त शासकीय निर्देश के अनुक्रम में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण सहायता जुटाने हेतु म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के उन कर्मीयों को छोड़कर जो दिनांक 28.04.2020 तक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को विषयांतर्गत अपनी असहमति प्रस्तुत करते हैं, अन्य समस्त सेवकों के अप्रैल 2020 के वेतन से 01 दिन के मूल वेतन की राशि की कटौत्री की जाकर मुख्यमंत्री सहायता

कोष के भारतीय स्टेट बैंक, वल्लभ भवन शाखा, खाता क्रमांक 10078152483—आई एफ एस
सी कोड SBIN0001056 में जमा किया जाना सुनिश्चित करें।

Sd/ 27.4.20
(संदीप यादव)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/632 पार्ट-1/697

भोपाल दिनांक 7/04/2020

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक (वित्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल की ओर कियान्वयन सुनिश्चित
करने हेतु संप्रेषित।

Sd/ 27.4.20
(प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल)

क्रमांक 329 दो.एन.सी./व-07/2020/चार

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
प्राप्तका, राज्यव मंडल, मध्यप्रदेश व्यापार,
समस्त रामार्थीय आधुनिक,
समस्त विभागाध्यया,
समस्त जिलापट्टी,
नायपट्टी

विषय :- रौपिड - 19 के कारण सहायता जुटाने हेतु रामी शासकीय सेवकों के अप्रैल 2020 के घेतन से कर्तृती की जाकर गुड्डमंडी सहायता क्षेत्र में राशि जमा किये जाने के संबंध में।

विद्यानन्दगंत विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा नानारोप नुख्यमंडी को पत्र प्रेषित कर यह स्वेच्छा व्यापारी गई है कि कोरोना नहानारी से निपटने के लिये राज्य शासन के शासवीय सेवकों के एक दिन का घेतन मुख्यमंडी सहायता कोप में जमा किया जाए। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा परिषद्व क्रमांक 94706-डी.एन.सी./व-07/2020/चार भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2020 निर्देश जारी किये गये हैं।

राज्य शासन के प्यान में यह जानकारी ताई नई है कि कुछ कर्मचारियों द्वारा अपने भाह गार्ह के घेतन से एक दिन के गूल घेतन की राशि नुख्यमंडी सहायता क्षेत्र में जमा कराई जा चुकी है। अतः उपरोक्त परिषद्व क्रमांक 94706-डी.एन.सी./व-07/2020/चार भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2020 को निरस्त करते हुये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :

2/ शासकीय सेवकों के भाह अप्रैल के घेतन से (जो कि भाह भाह में देणे होगा) एक दिन के मूल घेतन की राशि की कर्तृती की जाये। ऐसे शासकीय सेवकों, जिनके द्वारा स्वेच्छा से भाह भाह के मात्रिक घेतन से IFMIS के नाप्यन ते कोप में अंशदान दे दिया गया है उनके भाह अप्रैल के घेतन से कर्तृती की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यदि कोई शासकीय सेवक उपर्युक्त से अधिक या कम राशि की कर्तृती अद्या किन्हीं कारणों से अराहगति द्वयत करना चाहता है तो लदनुसार संविधित आहरण एवं संवितरण उपिकारी की लिखित में दिनांक 20/04/2020 तक आवश्यक तथा भी अवगत करा सकता है। ऐसे शासकीय सेवकों, जिनके द्वारा स्वेच्छा से भाह भाह में अंशदान दिया गया है, को उड़कत अन्य शासकीय सेवकों के संबंध में इस अवधि सीमा में अन्यथा कोई सूचना प्राप्त न होने पर शासकीय संघर्ष की स्थिति भानी जावेगी।

3/ कृपया उपरोक्तानुसार कर्तृता राशि, नायप्रदेश नुख्यमंडी सहायता कोष के भारतीय स्टेट बैंक, वहतम भवन शाया, याता क्रमांक 10078152483 - आई.एफ.एस.सी. - SBIN0001056 में संचालित खाते में जमा किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के भान भी
तथा आदेशनुसार

सचान्तक बजट

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

ओपाल, दिनांक 15 मार्च 2020

मुमाल 330 /क्र.एम.री.म-07/2020/वर

परिविष्ठि:-

01. राजगाल, मध्यप्रदेश के गोपीन, राजगाल, भोपाल।
02. प्रभुग राजित, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
03. गोपीन, गुरुद्वारी गोपीनालय, भोपाल।
04. भहालेलाकारा (सेला और हलतारा) मध्यप्रदेश ग्यालिया / भोपाल।
05. निवंधन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जचतपुर।
06. गुरुग निवंधन प्राधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
07. भहाजितता / उच्चाधिकारा, मध्यप्रदेश भोपाल / इन्डैर / ग्यालियर
08. आमुन, जनसंघ के संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
09. गुरुग राजित के स्टाफ अफिसर, मंजालय, भोपाल।
10. रामस्त रामगांग रामगत रामगालक, कोप, सेहा एवं वेशन नद्यप्रदेश।
11. रामस्त प्राचार्य, सेहा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
12. रामगत संचालक, जनसंघ के प्रत्येष्ठ, नंबालय, भोपाल।
13. अधिकारी, शारान वै रामस्त गान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघ।
14. रामस्त कोपालय अधिकारी / उप कोपालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
15. संभागीय / जिला वेशन अधिकारी, मध्य प्रदेश।
16. मध्य प्रदेश शसन वै वित्त अधिकारी (स्थाई रूपी अनुसार)।
17. गार्ड फाइल
की ओर सूचनाएँ एवं सभी अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अवगत करावे।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शसन, वित्त विभाग